संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक / 4 / शैक्ष / काउंसलिंग / एच / 2017 / वनिस/231 भोपाल,दिनांक 23/06/2017

प्रति,

समस्त शासकीय / स्वशासी / अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय /
इंजीनियरिंग / पॉलीटेक्निक महाविद्यालय म0प्र0

विषयः–**मुख्यमंत्री** मेधावी विद्यार्थी योजना वर्ष 2017–2018 **के संबंध में**।

म0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 2017–2018 **से मुख्यमंत्री** मेधावी विद्यार्थी योजना प्रारंभ की गई है । जिससे संबंधित शासन आदेश क्रमांक एफ 5–6 / 2017 / 42(1) दिनांक 12.06.2017 की प्रति आपको भेजी गयी है । सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

निर्देशित किया जाता है कि योजना के अंतर्गत आपके संस्था मे प्रवेशित मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत पात्र किसी भी छात्र/छात्रा से शासन द्वारा जारी किये गये उक्त आदेश के तारतम्य मे शुल्क ना लिया जाये।

संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शैक्ष / काउंसलिंग / एच / 2017 / वनिस/ भोपाल,दिनांक 23/06 / 2017

प्रतिलिपिः– (1) प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
(2) उप विभाग –5 (योजना शाखा), संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश।

संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 12.06.2017

: : आदेश : :

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 06 जून, 2017 को लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा हेतु **"मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना"** प्रारम्भ की जा रही है। योजना को निम्न स्वरूप में अनुमति प्रदान की जाती है।

2. पात्रता की शर्तें:-

2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो।

2.2 विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6 लाख रूपये से कम हो।

2.3 विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो।

3. यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-

3.1 **इंजीनियरिंग क्षेत्र:-** कोई भी विद्यार्थी जिसकी जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रैंक 50 हजार के अन्तर्गत हो। अगर विद्यार्थी किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-

a. शासकीय कॉलेज को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

b. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो भी कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश किया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 50 हजार तक के अन्तर्गत रेंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

3.2 **मेडिकल की पढ़ाई :-** जिन छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त

किया हो, तो विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेगें, और इस आशय का रूपये 10 लाख का बॉड निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉड की राशि 25 लाख रूपये रहेगी।

3.3 **विधि की पढ़ाई** :-CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स की विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.4 मध्यप्रदेश में स्थित भारत सरकार के प्रमुख संस्थान जैसे योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल (SPA), IIM इंदौर के 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के कोर्स की विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.5 राज्य शासन के सभी कॉलेज जिसमें बी.एस.सी, बी.ए, बी.कॉम, नर्सिंग, पोलीटेक्निक तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

4. योजना की अन्य शर्तें-

4.1 इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।

4.2 शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में देय होगा।

4.3 विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा।

4.4 सभी मध्यप्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनके परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फण्ड उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु इस योजना के अन्तर्गत प्रदाय की गयी राशि को वापिस जमा करा सकेंगे ।

5. **योजना का क्रियान्वयन-**

5.1 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

5.2 योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से आरंभ की जायेगी।

5.3 नोडल विभाग द्वारा इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जावेगा।

5.4 इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

5.5 संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरिफिकेशन उपरांत संस्था को देय शुल्कों की पूर्ति संबंधित संस्थान /विद्यार्थी को ई-ट्रासंफर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट से की जायेगी।

6. योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर समन्वय से मुख्यमंत्री जी अधिकृत होगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

12/6

(सभाजीत यादव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) भोपाल, दिनांक 12.06.2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव, कार्यालय।
5. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
7. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, भोपाल।
8. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
9. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/6

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग